

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 44/2019

नगीना साव बनाम डी0एफ0ओ0, रामगढ़

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
07-06-2019	<p>अपीलार्थी नगीना साव पिता स्व0 रामेश्वर साव, ग्राम– मोरांगी, थाना– मुफसिल, जिला–हजारीबाग (झारखण्ड) के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या –34/2019 में दिनांक 24/04/2019 को पारित आदेश के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52(A) के तहत अपील दायर किया गया है। आवेदन के साथ निम्न न्यायालय का पारित आदेश की सत्यापित प्रति एवं लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 अन्तर्गत कालबाद्ध को क्षान्त करने हेतु आवेदन संलग्न कर समर्पित किया गया है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक ...05/07/2019...को रखें।</p> <p style="text-align: right;">07/06/19 उपायुक्त, रामगढ़।</p>	

05/07/2019

अपीलार्थी – एकालतन हाजरी | Heard condonation.
Rejected; as no reasonable ground could be stated.
Dropped.